



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04082020-220785
CG-DL-W-04082020-220785

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जुलाई 12—जुलाई 18, 2020, शनिवार/आषाढ़ 21—आषाढ़ 27, 1942
No. 14] NEW DELHI, JULY 12 — JULY 18, 2020, SATURDAY/ASADHA 21—ASADHA 27, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2020

आ. अ. 51 .— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः: 07-गौहाटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22.06.2019 थी।

और यतः: जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप जिला, असम द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम द्वारा अपने दिनांक 08.07.2019 के पत्र सं.ईएलई 94/2018/227 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24.06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री अलीमुद्दीन अहमद, जो असम के 07-गौहाटी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः: जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप जिला, असम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अलीमुद्दीन अहमद को दिनांक 20.09.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20.09.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अलीमुद्दीन अहमद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः: उक्त नोटिस श्री अलीमुद्दीन अहमद द्वारा 12.03.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप जिला, असम द्वारा उनके दिनांक 11.05.2020 के पत्र सं.ईएलई(के)/व्यय/1/2/74 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः: जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप द्वारा उनके दिनांक 11.05.2020 के पत्र सं.ईएलई(के)/व्यय/1/2/74 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अलीमुद्दीन अहमद द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः: आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अलीमुद्दीन अहमद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यतः: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः: अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री अलीमुद्दीन अहमद, निवासी गांव- एनसी पब काजिया, डाकखाना कालारचर, पी.एस. भंगनामाड़ी, जिला नलबाड़ी, असम और असम राज्य के 07-गौहाटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से असम राज्य में लोक सभा के साधारण

निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं.76/असम-लो.स./2019/एनईएस-II]

आदेश से,

नरेंद्र एन. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2020

O. N. 51 .— WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha in the state of Assam, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/23/2019 dated 10.03.2019. As per the schedule Date of Counting was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 07-Gauhati Parliamentary Constituency on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 24.06.2019 submitted by the District Election Officer, Kamrup District, Assam and forwarded by Chief Electoral Officer, Assam vide letter No.ELE 94/2018/227 dated 08.07.2019, **Shri Alimuddin Ahmed**, Independent contesting candidate from 07-Gauhati Parliamentary Constituency of Assam, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Kamrup District, Assam and the Chief Electoral Officer, Assam, a Show Cause notice dated 20.09.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Alimuddin Ahmed** for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 20.09.2019, **Shri Alimuddin Ahmed**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice were received by **Shri Alimuddin Ahmed**, on 12.03.2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Kamrup vide his letter No.ELE(K)/EXP/1/2/74 dated 11.05.2020 .

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Kamrup vide his letter No.ELE(K)/EXP/1/2/74 dated 11.05.2020 has stated that **Shri Alimuddin Ahmed**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Alimuddin Ahmed**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Alimuddin Ahmed resident of Vill-NC Pub Kajiya, P.O.Kalarchar, P.S.Bhangnamari, Distt.-Nalbari (Assam)** and the contesting Independent candidate for the General Election to the Lok Sabha in the state of Assam, 2019 from 07-Gauhati Parliamentary Constituency of the state of Assam to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/AS-HP/2019/NES-II]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2020

आ. अ. 52.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 07-गौहाटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22.06.2019 थी।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप जिला, असम द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम द्वारा अपने दिनांक 08.07.2019 के पत्र सं.ईएलई 94/2018/227 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24.06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सादिक अली**, जो असम के 07-गौहाटी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप जिला, असम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सादिक अली** को दिनांक 20.09.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20.09.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सादिक अली** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे की त्रुटियों को ठीक करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस **श्री सादिक अली** द्वारा 12.03.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप जिला, असम द्वारा उनके दिनांक 11.05.2020 के पत्र सं.ईएलई(के)/व्यय/1/2/74 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप द्वारा प्रस्तुत दिनांक 11.05.2020 के पत्र सं.ईएलई(के)/व्यय/1/2/74 की अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सादिक अली** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। और मूल

वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरान्त भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सादिक अली** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा
- (ख) उस विफलता के लिए कोई समुचित कारण या औचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **श्री सादिक अली**, निवासी गांव-सिला, डाकखाना एवं थाना-चंगसाड़ी, जिला कामरूप, असम, और असम राज्य के 07-गौहाटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से असम राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अभ्यर्थी इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं.76/असम-लो.स./2019/एनईएस-II]

आदेश से,

नरेंद्र एन. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2020

O. N. 52 .—WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha in the state of Assam, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/23/2019 dated 10.03.2019. As per the schedule Date of Counting was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 07-Gauhati Parliamentary Constituency on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 24.06.2019 submitted by the District Election Officer, Kamrup District, Assam and forwarded by Chief Electoral Officer, Assam vide letter No.ELE 94/2018/227 dated 08.07.2019, **Shri Sadek Ali**, Republican Party of India contesting candidate from 07-Gauhati Parliamentary Constituency of Assam, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Kamrup District, Assam and the Chief Electoral Officer, Assam, a Show Cause notice dated 20.09.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to , **Shri Sadek Ali** for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 20.09.2019, **Shri Sadek Ali**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice were received by, **Shri Sadek Ali**, on 12.03.2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Kamrup vide his letter No.ELE(K)/EXP/1/2/74 dated 11.05.2020 .

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Kamrup vide his letter No.ELE(K)/EXP/1/2/74 dated 11.05.2020 has stated that , **Shri Sadek Ali** , has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that , **Shri Sadek Ali**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sadek Ali, resident of Vill-Sila, P.O. & P.S.-Changsari, Distt.Kamrup (Assam)**, and the contesting Republican Party of India candidate for the General Election to the Lok Sabha in the state of Assam, 2019 from 07-Gauhati Parliamentary Constituency of the State of Assam to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/AS-HP/2019/NES-II]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

आ. अ. 53.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 1-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 1-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 1-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) से निर्वाचन लड़ने

वाले अभ्यर्थी **श्री मौ. उवैस** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री मौ. उवैस को दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र. लो.स./1/भा.नि.आ./टेर./ पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन का लेखा का रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, एवं सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं खोला गया है।
- (3) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री मौ. उवैस** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री मौ. उवैस** को दिनांक 11 अक्तूबर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर ने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री मौ. उवैस** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री मौ. उवैस** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-लो.स./1/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019, दिनांक 4 दिसम्बर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर के माध्यम से उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 10 फरवरी, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री मौ. उवैस** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री मौ. उवैस** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री मौ. उवैस, निवासी मकान नम्बर 6/2246 मौहल्ला हुसैनाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 1-सहारनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./1/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

O.N. 53.—WHEREAS, the General Election for 1-Saharanpur Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Saharanpur Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 25th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Saharanpur District, Uttar Pradesh, **Shri Mohd. Uvais**, a contesting candidate of Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) from 1-Saharanpur Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/1/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 1st October, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Mohd. Uvais**, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

(i) Election expenditure register including day to day accounts register, cash register, bank register and abstract statement were not filed

(ii) No separate bank account has been opened for election.

(iii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Mohd. Uvais** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Saharanpur within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Saharanpur, the said notice was served to **Shri Mohd. Uvais** on 11th October, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Saharanpur has submitted in his supplementary report, dated 26th November, 2019 that **Shri Mohd. Uvais** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-HP/1/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 4th December, 2019, which was served to him on 17th December, 2019 through the District Election Officer, Saharanpur; and

WHEREAS, as per the report, dated 10th February, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Shri Mohd. Uvais** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after receipt of the Commission's said notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Mohd. Uvais** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Mohd. Uvais**, resident of H.No. 6/2246, Mohalla, Husainabad, Saharanpur, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 1-Saharanpur Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/1/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

आ. अ. 54 .—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 68-लालगंज (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 68-लालगंज (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 68-लालगंज (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री लल्लिमन कन्नौजिया** अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री लल्लिमन कन्नौजिया** को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन

व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./68/भा.नि.आ./नोटिस/टेर./उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री लख्मिन कन्नौजिया** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री लख्मिन कन्नौजिया** को दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ ने दिनांक 10 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री लख्मिन कन्नौजिया** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री लख्मिन कन्नौजिया** अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **श्री लख्मिन कन्नौजिया**, निवासी ग्राम-आयर, पोस्ट-आयर, थाना चोलापुर, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 68-लालगंज (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./68/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

O.N. 54.—WHEREAS, the General Election for 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Azamgarh District, Uttar Pradesh, **Shri Lcchiman Kannooizya**, a contesting candidate of Prithviraj Janshakti Party from 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/68/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Lcchiman Kannooizya**, for non- submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Lcchiman Kannooizya** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Azamgarh within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Azamgarh, the said notice was served to **Sh. Lcchiman Kannooizya** on 27th December, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh has submitted in his supplementary report, dated 10th February, 2020 that Sh. **Shri Lcchiman Kannooizya**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Lcchiman Kannooizya** has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Lcchiman Kannooizya**, resident of Village-Aayar, Post-Aayar, Thana-Cholapur, District-Varanasi, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 68-Lalganj (SC) Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/68/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

आ. अ. 55.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 69-आज़मगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 69-आज़मगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 69-आज़मगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अनिल सिंह** अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री अनिल सिंह** को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./69/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री अनिल सिंह** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री अनिल सिंह** को दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ ने दिनांक 10 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री अनिल सिंह** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री अनिल सिंह** अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **श्री अनिल सिंह**, निवासी ग्राम-अमारी, पोस्ट-गोपालपुर, तहसील-मेंहनगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 69-आजमगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./69/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

O.N. 55.—WHEREAS, the General Election for 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 69-Azamgarh Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Azamgarh District, Uttar Pradesh, **Shri Anil Singh**, a contesting candidate of Rashtriya Ulama Council from 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/69/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Anil Singh**, for non-submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Anil Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Azamgarh within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Azamgarh, the said notice was served to **Sh. Anil Singh** on 17th September, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh has submitted in his supplementary report, dated 10th February, 2020 that **Sh. Shri Anil Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Anil Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Anil Singh**, resident of Village-Amari, Post-Gopalpur, Tahsil-Mehnar, Azamgarh, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/69/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

आ. अ. 56.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री जगवीर सिंह** अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री जगवीर सिंह** को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./17/भा.नि.आ./ नोटिस/टिरी.//उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री जगवीर सिंह** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, बताये गए पते पर अभ्यर्थी के उपस्थित न होने की स्थिति में उक्त नोटिस को दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को दो गवाहों की उपस्थिति में उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते की दीवार पर चिपकाया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मथुरा ने दिनांक 14 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री जगवीर सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जगवीर सिंह अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री जगवीर सिंह, निवासी शिव कम्पलेक्स, औरंगाबाद, मथुरा-281006, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 17-मथुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./17/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

O.N. 56.—WHEREAS, the General Election for 17-Mathura Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 17-Mathura Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Mathura District, Uttar Pradesh, **Shri Jagvir Singh**, a contesting candidate of Pragatishil Samajwadi Party (Lohia) from 17-Mathura Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/17/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Jagvir Singh**, for non- submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Jagvir Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Mathura within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mathura, in absence of candidate at the given address, the notice was pasted on the wall of the address provided by him in the nomination papers, on 24th September, 2019 in the presence of two witnesses; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mathura has submitted in his supplementary report, dated 14th February, 2020 that Sh. **Shri Jagvir Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Jagvir Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
 - (b) Has no good reason or justification for the failure,
- the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Jagvir Singh**, resident of Shiv Complex, Aurangabad, Mathura-281006, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 17-Mathura Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/17/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

आ. अ. 57.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से जनसत्ता पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जयपाल सिंह सैनी अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री जयपाल सिंह सैनी को दिनांक 22 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./3/भा.नि.आ./ नोटिस/टेर./ उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री जयपाल सिंह सैनी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री जयपाल सिंह सैनी को दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 17 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री जयपाल सिंह सैनी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जयपाल सिंह सैनी अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबन्धित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री जयपाल सिंह सैनी, निवासी ग्राम मनव्वरपुर कलां, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 3-मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./3/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

O.N. 57.—WHEREAS, the General Election for 3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Muzaffarnagar District, Uttar Pradesh, Shri Jaipal Singh Saini, a contesting candidate of Jansatta Party from 3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/3/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 22nd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Jaipal Singh Saini, for non- submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Sh. Jaipal Singh Saini was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Muzaffarnagar within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Muzaffarnagar, the said notice was served to Sh. Jaipal Singh Saini on 3rd September, 2019 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarnagar has submitted in his supplementary report, dated 17th February, 2020 that Sh. Jaipal Singh Saini, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Jaipal Singh Saini has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Jaipal Singh Saini, resident of Village Manavvarpur Kalan, District-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 3-Muzaffarnagar Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/3/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

आ. अ. 58 .—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 18-आगरा (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 18-आगरा (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 18-आगरा (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से पीस पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रामजी लाल विद्यार्थी** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री रामजी लाल विद्यार्थी** को दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं.76/उ.प्र.-लो.स./18/भा.नि.आ./पत्र/टैर./उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था:-

- (1) अभ्यर्थी द्वारा व्यय बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं दिये गये हैं।

(2) अभ्यर्थी द्वारा रु. 1,92,367/- व्यय किया गया, परन्तु नियमानुसार नकद धनराशि बैंक में जमा किये बिना खर्च की गयी है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा चन्दे/दान में ली गई धनराशि से सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री रामजी लाल विद्यार्थी को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रामजी लाल विद्यार्थी को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, आयोग के उक्त नोटिस के जवाब में श्री रामजी लाल विद्यार्थी से दिनांक 7 नवम्बर, 2019 का एक अभ्यावेदन, आयोग में दिनांक 9 नवम्बर, 2019 को प्राप्त हुआ; और

यतः, आयोग के पत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी के उक्त संदर्भित अभ्यावेदन पर अपना मंतव्य आयोग में भेजने को कहा गया; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा से प्राप्त पत्र, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 एवं 14 जनवरी, 2020 के अनुसार अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी द्वारा उनके लेखे में कोई सुधार नहीं किया गया, केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-लो.स./18/भा.नि.आ./टेरी./पत्र/उ.अनु.-III-उ.प्र./2019, दिनांक 15 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ; और

यतः, आयोग के उक्त पत्र के जवाब में श्री रामजी लाल विद्यार्थी से दिनांक 13 मार्च, 2020 का एक अभ्यावेदन, आयोग में दिनांक 16 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, आयोग के पत्र, दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी के उक्त संदर्भित अभ्यावेदन पर भी अपना मंतव्य आयोग में भेजने को कहा गया; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा उनके पत्र, दिनांक 23 अप्रैल, 2020 में यह पुनः कहा गया कि अभ्यर्थी श्री रामजी लाल विद्यार्थी द्वारा उनके लेखे में कोई सुधार नहीं किया गया है केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामजी लाल विद्यार्थी विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री रामजी लाल विद्यार्थी, निवासी 38/58 अ, ईदगाह कटघर, थाना रकाबगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश, जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 18-आगरा (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./18/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

O.N. 58.—WHEREAS, the General Election for 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 27th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Agra District, Uttar Pradesh, Shri Ramji Lal Vidhyarthi, a contesting candidate of Peace Party from 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge true accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/18/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 17th October, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ramji Lal Vidhyarthi, for submission of accounts of his election expenses with the following defects:-

- (1) Expenditure bills /vouchers have not been presented by the candidate.
- (2) Rs. 1,92,367/- was spent by the candidate, but as per the rules, the cash amount has been spent without depositing it in the bank.
- (3) The receipts related to the funds taken by the candidate / donation have not been submitted.

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Ramji Lal Vidhyarthi was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Agra within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Agra, the said notice was served to Shri Ramji Lal Vidhyarthi at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, in response to the said notice, a representation, dated 7th November, 2019 was received from Sh. Ramji Lal Vidhyarthi in the Commission on 9th November, 2019; and

WHEREAS, The Commission vide letter, dated 21st November, 2019 sought comments of District Election Officer on the above mentioned representation of the candidate; and

WHEREAS, as per the District Election Officer's letter, dated 20th December, 2019 and 14th January, 2020, Sh. Ramji Lal Vidhyarthi did not rectify the defects in his accounts and only above mentioned representation was submitted by him; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-HP/18/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019, dated 15th January, 2020, which was served to him through the District Election Officer, Agra; and

WHEREAS, in response to the aforesaid letter of the Commission, a representation, dated 13th March, 2020 was received from Sh. Ramji Lal Vidhyarthi in the Commission on 16th March, 2020; and

WHEREAS, The Commission vide letter, dated 19th March, 2020 sought comments of District Election Officer on the above mentioned representation of the candidate; and

WHEREAS, as per the District Election Officer vide his letter, dated 23rd April, 2020, reiterated that Sh. Ramji Lal Vidhyarthi has not rectified the defects in his accounts and only representation has been submitted by him; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Ramji Lal Vidhyarthi has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ramji Lal Vidhyarthi, resident of 38/58 A, Idgah Katghar, Thana Rakabgang, Agra, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 18-Agra (SC) Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/18/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

आ. अ. 59.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 21-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 21-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 21-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जन नायक पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रजत कुमार अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री रजत कुमार को दिनांक 23 अगस्त, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-लो.स./21/भा.नि.आ./ नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2019 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री रजत कुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री रजत कुमार को दिनांक 29 फरवरी, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 25 जून, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री रजत कुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रजत कुमार अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री रजत कुमार, निवासी नगला परमधाम, मकान सं. 173, मानिकपुर, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 21-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-लो.स./21/2019]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th July, 2020

O.N. 59.—WHEREAS, the General Election for 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 21-Mainpuri Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, **Shri Rajat Kumar**, a contesting candidate of Bhartiya Jan Nayak Party from 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any accounts of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-HP/21/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2019, dated 23rd August, 2019 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Rajat Kumar**, for non- submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Shri Rajat Kumar** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to **Shri Rajat Kumar** on 29th February, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 25th June, 2020 that **Shri Rajat Kumar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Rajat Kumar** has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rajat Kumar**, resident of Nagla Paramdham, H.No. 173, Manikpur, District Etawah, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the House of the People, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/21/2019]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2020

आ. अ. 60.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 के 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री आनंद कुमार, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री प्रवीण गुप्ता, आई.ए.एस.(आर.जे.: 1995) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री प्रवीण गुप्ता राजस्थान सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वह ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री प्रवीण गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के रूप में कार्य करते हुए राजस्थान सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/RJ/2020-P.Admn.]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 3rd July, 2020

O. N. 60 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Rajasthan hereby designates Shri Praveen Gupta, IAS (RJ : 1995) as the Chief Electoral Officer for the State of Rajasthan with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Anand Kumar, IAS.

2. Shri Praveen Gupta shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Rajasthan, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Praveen Gupta while functioning as the Chief Electoral Officer, Rajasthan shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Rajasthan except that he should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/RJ/2020-P.Admn.]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.